भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 457**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**बच्चों के आश्रय गृह में अपराध**

**457. श्री राजकुमार धूतः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में बच्चों और विशेषकर बालिकाओं और महिलाओं के लिए बने आश्रय गृहों के संरक्षकों के भक्षक बनने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस खतरे से सख्ती से निपटने के लिए सरकार क्या रणनीति बनाने पर विचार कर रही है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : हाल ही में, बच्‍चों के लिए आश्रय गृहों में बच्‍चों के दुरूपयोग करने से संबंधित हताश करने वाली घटनाएं मंत्रालय की जानकारी में आई हैं । मुजफ्फरपुर, बिहार स्थित “सेवा संकल्‍प एवं विकास समिति” आश्रय गृह तथा देवरिया, पूर्वी उत्‍तर प्रदेश स्थित “मॉं विन्‍ध्‍यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्‍थान” आश्रय गृह में बच्‍चों के साथ हिंसा तथा दुरूपयोग करने से संबंधित घटनाओं की सूचना मिली है ।

(ग) : मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से कहा है कि वे किशोर न्‍याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) (जेजे) अधिनियम, 2015 तथा उसके तहत बनाए गए किशोर न्‍याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण)(जेजे) मॉडल नियम, 2016 में यथा-अधिदेशित अनुसार सभी बाल देखभाल संस्‍थानों (सीसीआईज) की नियमित रूप से मॉनिटर करें । मंत्रालय ने किसी भी सीसीआई में दुरूपयोग की किसी भी अप्रिय घटना के मामले में बच्चों के जीवन संबंधी दुर्घटनाओं के बारे में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में राज्यों तथा संघ राज्‍य क्षेत्रों को एक एडवाईजरी भी जारी की है ।

\*\*\*\*\*